विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 5 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–19/2012.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक–24) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ ई–राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2012 का विधेयक संख्यांक 24

हिमाचल प्रदेष विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंषन) संषोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

2. **धारा 3 का संशोधन.**– हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में ''पन्द्रह हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

3. **धारा 4 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में "पांच सौ रूपए" शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

4. **धारा 4–ख का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 4–ख में "बीस हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "पैंतीस हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

5. **धारा 5–क का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 5–क में "एक हजार पांच सौ रूपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

6. **धारा 6–ख का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 6–ख की उपधारा (1) में "चौदह हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "अठारह हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों को जन–प्रतिनिधि के रूप में जन जीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्रता से वृद्धि के कारण उनकी विद्यमान उपलब्धियों और सुख–सुविधाओं में संशोधन की लगातार मांग रही है इसलिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

षिमला :...........

तारीख :....................अप्रैल, 2012.

वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2 से 6 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 3.30 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–––शून्य––

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिषें

(जी.ए.डी.फाईल नं0 जी0ए0डी0–सी (डी) 5–1/2011)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2012 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

BILL NO. 24 OF 2012

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members)Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follow:-

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words **"fifteen thousand"**, the words **" twenty thousand "** shall be substituted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (ii), for the words **"five hundred"**, the words **"one thousand"** shall be substituted.

4. Amendment of section 4-B.—In section 4-B of the principal Act, for the words **"twenty thousand"**, the words **"thirty five thousand"** shall be substituted.

5. Amendment of section 5-A.—In section 5-A of the principal Act, for the words **"one thousand five hundred",** .the words **"three thousand "** shall be substituted.

6. Amendment of section 6-B.— In section 6-B of the principal Act, in sub-section (1), for the figures **"14000"**, the figures and sign **"18,000"** shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and amenities. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla:
The _______ April, 2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 to 6 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs.3.30 crore per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C (D)-5-1/2011)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2012, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.